राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 953/2012/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'ए', उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नेहा ट्रेडिंग कम्पनी, अश्विनी बाजार, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 29/11/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 106/वैट/10–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.10.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वित्तीय वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2010 को पारित किया गया था, जिसमें कॉलम संख्या 13 में रूपये 19,51,880/– के कार्य संविदा के कार्य पर अन्तर कर राशि रूपये 2,14,707/– आरोपित की गयी थी। इसके अलावा अन्य कर एवं ब्याज भी आरोपित किया गया था। उस आदेश में त्रुटि बताते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन प्रार्थना–पत्र पेश कर विभिन्न त्रुटियां सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसमें एक बिन्दु को छोड़कर शेष त्रुटियों का सुधार करते हुए दिनांक 27.12.2010 को संशोधित आदेश पारित किया गया। इस संशोधित आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह परिशोधन करने से इंकार किया गया कि उनके द्वारा उक्त 19.51 लाख रूपये की राशि पर जो अन्तर कर आरोपित किया गया है, वह उचित है। इस आशय का उल्लेख आदेश पत्र में किया गया। उक्त आदेश दिनांक 27.12.2010 से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2011 से प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई एवं आरोपित कर एवं ब्याज अपास्त किये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा आरोपित कर को उचित बताते हुए अपीलीय आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए उसे अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद सूचना किसी के उपस्थित नहीं होने पर, अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2010 में कार्यसंविदा पर विमुक्ति प्रमाण–पत्र नहीं होने के आधार पर 11 प्रतिशत से अन्तर कर रूपये 2,14,707/– आरोपित किया गया था एवं उससे सम्बन्धित ब्याज भी आरोपित किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने संशोधन प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया था कि उनके द्वारा उक्त समस्त विवादित कार्य संविदा का कार्य राज्य के बाहर मध्यप्रदेश राज्य में नीमच शहर में किया गया था। ऐसी स्थिति में राजस्थान में करारोपण किया जाना अविधिक है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के परिशीलन पर पाया कि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कार्य के लिये मुक्ति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया था, परन्तु बाद में यह ज्ञात होने पर कि व्यवहारी का कार्यसंविदा राज्य के बाहर के हैं, अतः मुक्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 25.08.2009 को पारित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कार्य राज्य के बाहर होने से कर छूट के प्रावधान नहीं हैं एवं लिपिकीय त्रुटि के कारण मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी हो गया है अतः मुक्ति प्रमाण–पत्र को Revoke किया जाता है। इस आदेश के पठन पर यह स्वतः स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कार्य राज्य के बाहर होना प्रमाणित था इसीलिए करमुक्ति प्रमाण–पत्र जो गलती से जारी किया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया था। इन तथ्यों के अधीन कर निर्धारण आदेश में उस कार्य पर राज्य के भीतर कोई टर्नओवर नहीं होने से करारोपण नहीं किया जा सकता था, परन्तु नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.09.2010 में यह करारोपण कर दिया गया, जिसमें मुक्ति प्रमाण–पत्र 1% एवं अन्तर कर 11% लगाते हुए आदेश किया गया है, जो

लगातार.....3

तथ्यात्मक भूल है और इस तथ्यात्मक भूल को कर निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाये जाने पर परिशोधन योग्य था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए परिशोधन आदेश दिनांक 27.12.2010 पारित कर दिया गया, जिसमें यह अन्तर कर राशि एवं ब्याज यथावत रखा गया। उक्त आदेश की अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इस तथ्यात्मक भूल को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जो पूर्णतया उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलीय आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य